

## पाकस्तान UNHRC के लिये फरि से नरिवाचति

### प्रलिमिंस के लयि:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार परषिद

### मेन्स के लयि:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार परषिद

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में पाकस्तान को 1 जनवरी, 2021 को शुरू होने वाले 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार परषिद' (United Nations Human Rights Council-UNHRC) के तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये एक सदस्य के रूप में पुनः नरिवाचति कयि गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पाकस्तान वर्तमान में 1 जनवरी, 2018 से इस संस्थान में सेवा दे रहा है।

## प्रमुख बदि:

- वर्तमान में UNHRC के 47 सदस्य हैं और सीटों का बँटवारा भौगोलिक आधार पर होता है। हाल ही में परषिद में कुल पंद्रह सदस्य देश चुने गए हैं, जिनमें से रूस और क्यूबा नरिवरिध चुने गए हैं। पाकस्तान, उजबेकस्तान, नेपाल और चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुने गए हैं।
- पाकस्तान को मानवाधकारों के गंभीर उल्लंघन पर मानवाधकार कार्यकर्ता समूहों द्वारा कयि जाने वाले वरिध के बावजूद फरि से चुना गया है।
  - यह पाँचवीं बार है जब पाकस्तान को UNHRC के लिये चुना गया है।
- ब्रिटिश सरकार के 'वदिश और राष्ट्रमंडल कार्यालय' की 'मानवाधकार और लोकतंत्र' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में पाकस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए थे।
  - इसमें नागरिक स्थानों/सविलि स्पेस और अभवियक्ता की स्वतंत्रता पर प्रतर्बिध, असहषिणुता, अल्पसंख्यकों के प्रता प्रत्यक्ष एवं खुले भेदभाव जैसे मामले शामिल हैं।

## चति के वषिय:

### संदिध रकिरंड वाले देश:

- मानव अधिकारों के संबंध में संदिध रकिरंड रखने वाले कई देशों का UNHRC में नरिवाचति होना, परषिद में प्रवेश की वर्तमान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता उजागर करता है।
- चीन और रूस जैसे देशों का परषिद में चुनाव UNHRC की गरमि को नुकसान पहुँचाता है। यह 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधकार समिति' की आंतरिक संरचना और उसकी बाहरी भूमिका दोनों स्थितियों में लागू है।

### गैर-प्रतसिपर्द्धी चुनाव:

- वषिक्ष के बनि परषिद के सदस्यों का चुनाव भी एक प्रमुख समस्या है। उदाहरण के लिये पूर्वी यूरोपीय समूह में दो सीटें उपलब्ध थीं लेकिन उन पदों को भरने के लिये केवल दो देशों को नामांकति कयि गया था, जसिका मतलब है कि इन स्थानों के लिये कोई प्रतयोगति नहीं थी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रतयोगति को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय समूहों में सदस्य देश नरिवरिध चुने गए थे।

### अन्य पक्ष:

- संदिध मानवाधकार रकिरंड वाले देशों के चुनाव के साथ कुछ सकारात्मक पहलू भी जुड़े हैं। संदिध मानवाधकार रकिरंड वाले देशों का परषिद के लिये चुने जाने की एक सलिवर लाइनगि है- "मानवाधकारों के प्रता अभभावक के रूप में उनकी स्थिति उनके अपने स्वयं के मानवाधकारों के हनन को

छपिना कहीं अधिक कठनि बनाती है।”

## आगे की राह:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2018 में UNHRC के संबंध में अप्रभावशीलता और पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। भारत के लिये यह एक परीक्षण का समय है क्योंकि पाकिस्तान को मानवाधिकारों के बारे में संदिग्ध स्थिति के बावजूद फरि से चुना गया है।
- भारत वैश्विक शासन संस्थानों का सम्मान करता है तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता संधिधंतों को आधार बनाकर बना उचित कारणों के सदस्यता छोड़ने के बजाय ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने तथा सुधारों का समर्थन करता है।

## संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):

- UNHRC की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, जिसका मुख्यालय: जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- सदस्यों का चुनाव तीन वर्षों की अवधि के लिये किया जाता है, जिसमें अधिकतम दो कार्यकाल लगातार हो सकते हैं।

### उद्देश्य:

- दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रचार करना और उनकी रक्षा करना, साथ ही साथ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना।

### वशिषताएँ:

- UNHRC में 5 समूहों से क्षेत्रीय समूह के आधार पर तीन वर्ष के लिये 47 सदस्य चुने गए हैं।

### सदस्यता:

- सदस्य बनने के लिये एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 देशों में से कम-से-कम 96 देशों (पूर्ण बहुमत) के मत प्राप्त करने आवश्यक हैं।
- संकल्प 60/251 के अनुसार, जिसके तहत परिषद का निर्माण किया गया था, के अनुसार, परिषद सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुमत द्वारा सीधे गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है।
- सदस्यता को भौगोलिक रूप से समान रूप से वितरित किया गया है।

### सदस्यता के लिये पाँच क्षेत्रीय समूह:

- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लेटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप।

### सत्र:

- मार्च, जून और सितंबर में तीन बार नियमित सत्र आयोजित किये जाते हैं।

### महत्त्व:

- परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की 'सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा' (Universal Periodic Review) की जाती है, जो 'नागरिक समाज समूहों' को सदस्य देशों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को संयुक्त राष्ट्र के ध्यान में लाने का अवसर देता है।

## स्रोत: द हद्दि